

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 15/2017

मोहन जीगा बनाम बाबू मील पि. नाथुण मील
पत्नी मोहन जीगा नि. साई पीपला
नि. नाथुण

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री मोहन पत्नी मोहन जीगा ने जरिये अधिवक्ता श्री डॉ.म.प्रकाश पालीवाल ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/तहसील खाते की भूमि ग्राम साईपीपला प0ह0 माण्डला तह0 माण्डलगढ में आराजी न0 24/1, 25, 26, 27, 81

किता 5 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीयण आये दिन विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करण साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी का आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काशतकार है। पडौसियान के विवाद करने शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0कट स्वीकार किया गया ग्राम साईपीपला की आराजी न0 24/1, 25, 26, 27, 81

रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा घूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 1000 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसील माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ जिला-भीलवाडा